भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 188

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया गया)

निगमित सामाजिक दायित्व परामर्शदाता

*** 188. डॉ. संजीव कुमार शिंगरीः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसे निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित परामर्शदाताओं के बारे में जानकारी है, जो अधिकांश समय निगमित सामाजिक दायित्व धनराशि के बड़े हिस्से को परामर्श शुल्क के रूप में ले लेते हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे परामर्शदाताओं के विरुद्ध की गई सांविधिक कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के उपरांत आँध्र प्रदेश के कुरनुल जिले में स्थित विभिन्न कंपनियों द्वारा किए गए निगमित सामाजिक दायित्व कार्यकलापों की संपरीक्षा की है, यदि हां, तो विगत सात वर्षों के दौरान कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"निगमित सामाजिक दायित्व परामर्शदाता" के संबंध में दिनांक 08 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 188* (8वीं स्थिति) के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के व्यापक ढांचे का प्रावधान करती है। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उसके संबंध में निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम (4) के साथ पठित धारा 135 में यह विहित है कि कंपनी बोर्ड स्वयं द्वारा अथवा उक्त नियम में यथा उल्लिखित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अपने सीएसआर कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए अधिकृत है। अधिनियम की धारा 135 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उपबंधित सीएसआर के विधिक ढांचे में सीएसआर परामर्शदाताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जब कभी सीएसआर संबंधी प्रावधानों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होती है, रिकॉर्डों की विधिवत जांच करके तथा विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। साथ ही, 22 जनवरी, 2021 को अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में हाल ही में किए गए संशोधनों के तहत अधिक से अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाते हुए, बोर्ड को अधिक जवाबदेह बनाते हुए और कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले प्रकटन की प्रक्रिया को व्यापक बनाते हुए सीएसआर इको-सिस्टम को सुदृढ़ कर दिया गया है।

(घ) और (ड.): संपूर्ण सीएसआर संरचना प्रकटन आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे एमसीए 21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करें। अधिनियम की धारा 135 के तहत कवर होने वाली वाली प्रत्येक कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि के संबंध में अपने प्रोफिट और लॉस अकाउंट में अतिरिक्त सूचना प्रदान करें। कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण में इंगित ब्यौरे की अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। इसके अलावा, कंपनी बोर्ड से यह भी अपेक्षा है कि वह अपनी रिपोर्ट में निर्धारित निधि, किए गए व्यय, नियुक्त की गई कार्यान्वयन एजेंसियो, आदि से संबंधित ब्यौरे सहित कंपनी द्वारा तैयार और कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटीकरण करे। अनिवार्य प्रकटन, सीएसआर समिति तथा बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु प्रावधान इत्यादि जैसे मौजूदा विधिक प्रावधानों के जरिए इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं।

*****